भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *238

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

***238. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:**
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक को आबंटित/जारी एवं उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, उक्त राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र के लातूर जिले, राजस्थान के सीकर, अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर जिलों, झारखंड के लातेहार और चतरा जिलों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों, असम के दरंग जिले और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में इस योजना के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त राज्यों में विशेष रूप से उपर्युक्त जिलों में इस योजना के तहत लंबित परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) योजना के तहत सभी लंबित परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *238 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): अगस्त, 2019 से भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी में तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को समाहित करने के बाद जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में (15.12.2022 तक) जेजेएम के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक के लिए आबंटित/जारी केंद्रीय निधि/उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक सहित राज्य ही पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अतः ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए प्रस्तावों और अनुमोदन सहित, व्यक्तिगत परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

तथापि, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक सहित पूरे देश में तेजी के साथ जेजेएम की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श और उसे अंतिम रूप दिया जाना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और जानकारी साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र के दौरे आदि शामिल हैं। जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्य संबंधी दिशा-निर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और उसका क्रियान्वयन सुकर हो सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम - एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम - डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *238 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में (15.12.2022 तक) जेजेएम के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक के लिए आबंटित/जारी केंद्रीय निधि/उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

महाराष्ट्र

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
2.	2020-21	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
3.	2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	379.18	477.98
4.	2022-23	1,557.65	7,831.25	0.00	1,557.65	817.38	845.44

राजस्थान

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
2.	2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
3.	2021-22	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.23	1,664.02
4.	2022-23	1,288.46	13,328.60	2,749.65	4,038.11	2,553.88	1,375.12

झारखंड

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	75.79	267.69	291.19	382.97	114.58	119.71
2.	2020-21	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
3.	2021-22	124.83	2,479.88	512.22	637.05	437.21	510.99
4.	2022-23	199.83	2,825.52	706.38	906.21	594.05	701.12

(राशि करोड़ रुपए में)

छत्तीसगढ़

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
2.	2020-21	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
3.	2021-22	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
4.	2022-23	147.06	2,223.98	1,111.99	1,259.05	842.69	833.97

असम

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
2.	2020-21	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	90.02
3.	2021-22	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.44	312.89
4.	2022-23	1,819.21	6,117.61	1,529.40	3,348.61	2,250.74	239.22

कर्नाटक

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1.	2019-20	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
2.	2020-21	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
3.	2021-22	177.16	5,008.80	2,504.40	2,681.56	1,418.56	1,557.92
4.	2022-23	1,263.00	5,451.85	1,362.96	2,625.96	997.53	1,072.66

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस